न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 232/17
निर्णय दिनांक 13.06.2018

1. सुवालाल पुत्र बालूराम
2. रूकमणीदेवी पत्नि सुवालाल
   समस्त जाति जाट नि0 मोहन का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुंवार
2. रूपाराम
   समस्त पुत्रान भूरा जाति जाट नि0 मोहन का बास तह0 कि0रेनवाल
3. तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 251 क रा0टी0ऐक्ट

निर्णय

संक्षिप्त में वाकयात इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खं0नं0 384/1 रकबा 17 बीघा 18 विस्वा वाकै मोहन का बास प0ह0 खेड़ीमिल्क तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण के कब्जेंकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है उक्त आराजी व निवास स्थान में आने जाने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता खं0नं0 385 रकबा 18 बीघा वाकै ग्राम मोहन का बास प0ह0 खेड़ीमिल्क तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर में से होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शें के मार्क ए से बी से होकर है जिसमें से आने–जाने के लिए उक्त मार्क से होकर 20 फुट चौड़ा व 25 फुट लम्बा रास्तें की आवश्यकता है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में मार्क ए से बी दर्शित किया गया है जो मार्क ए से बी मौके पर ग्रेवर रोड़ है उससे दिलवाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन व तलब किया गया। तहसीलदार कि0रेनवाल के पत्रांक 6206 दिनांक 19.12.17 के संलग्न प्राप्तशुदा रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। वकी प्रार्थीगण ने दस्तावेज सूची के संलग्न अखबार साया की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस प्रकाश के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार 2018 न्यायालय हाजा में पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेज सूची के संलग्न दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थीगण को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी गयी प्रार्थीगण के वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के निवास स्थान के मकानात व उसकी आराजी के पूर्वी सींव के सहारे सहारे स्थित खं0नं0 385 की सीमाओं के मध्य दिया जाना उचित रहेगा प्रार्थीगण को 20 फुट चौड़े व 25 फुट लम्बें रास्तें की आवश्यकता है 20 फुट चौड़े व 25 फुट लम्बा खं0नं0 385 में से दिया जाना उचित रहेगा प्रार्थीगण जो भी शुल्क होगा अप्रार्थीगण को अदा करने को तत्पर है। खं0नं0 385 के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 लगा0 2 है। वकील प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि तहसीलदार कि0रनवाल की मौका रिपोर्ट आ चुकी है जो शामिल पत्रावली है प्रार्थीगण डी0एल0सी0 राशि का दुगना भुगतान जो भी वर्तमान रेट है उस पर जमा कराने हेतु तैयार है इसलिये तहसीलदार कि0रनवाल को आदेश दिया जावें कि राजस्व रिकोर्ड में रास्ता कायम किया जाकर प्रार्थीगण को आवागन की सुविधा दिलायी जावें।

अतः पत्रावली का अवलोकन करने व तहसीलदार की रिपोर्ट का अध्ययन करने पर यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना आवश्यक है इसलिये प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कि0रेनवाल को आदेश दिया जाता है कि रिपोर्ट दिनांक 19.12.17 के प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थीगण के खं0नं0 384/1 रकबा 17 बीघा 18 विस्वा में आने जाने हेतु खं0नं0 385 जो वाकै ग्राम मोहन का बास प0ह0 खेडीमिल्क तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है के खं0नं0 385 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे से 20 फुट चौड़े व 25 फुट रास्ता लिया जाकर खं0नं0 384/1 तक लम्बाई व चौड़ाई में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाकर मौके पर रास्ता कायम करें वर्तमान में जो डी0एल0सी0 दर है उसकी दोगुना राशि प्रार्थीगण से जमा की जाकर अप्रार्थीगण नं0 1 लगा0 2 को भुगतान किया जावें इस बाबत तहसीलदार कि0रेनवाल को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner